HPFD-F05/360/2024-FCA
वन विभाग हिमाचल प्रदे ा।

प्रे ाकः नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषितः उप महा निर्देशक, वन (केन्द्रिय),
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रिय कार्यालय (उतर–मध्य क्षेत्र), सुभाा रोड़, देहरादून–248001

दिनांक ामिला–1

विषयः **Diversion of 0.6123 hectare of forest land in favour of HPPW for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (KMs. 0/00 to 2/500) within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर 8बी/एच0पी0/06/41/2017/एफ0सी0/1204 दिनांक 10.10.2017 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

1. वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के दुगने पर अर्थात 1.23 है0 DPF Narehli पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 07–10 वर्षों तक रखरखाव हेतू (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासं ाोधित) आव यक धनराि ा जमा करवा दी गई है।

2. प्रयोक्ता अभिकरण ने FCA, 1980 के उल्लंघन फलस्वरुप प्रस्ताव के अनुसार Penal NPV की निर्धारित राि ा जमा करवा ली है।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0 सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गए आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राि ा पूर्व में ही जमा कर ली गई है।

4. भाुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराि ा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता की प्रति संलग्न की गई है।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007– एफ0सी0ए0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां, प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में, online Portal के माध्यम से जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से जमा की गई है।

6॰ निर्माण के प चात जहां–जहां संभव हो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में परियोजना क्षेत्र में खाली पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। इस आ य की वचन बद्धता संलगन है।

उपरोक्त सभी भार्तों के अतिरिक्त आपके पत्र के भाग 2 की सभी भार्तों की अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वदसपम च्तवजंस में अपलोड कर ली है। अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्त

Signed by
Sanjay Sood
Date: 19-12-2024 16:43:16

नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)
टालैंड ि ामला, हि0प्र0।